

17/9/19

~~17/9/19~~

पत्रावली
आगे चलना
करी चाहता हूँ

17/9/19


17/9/19

पत्रावली चेश दुई वादी मत्र अधिवक्ता
के उपर। वाकी न न्यायालय मे उपस्थित
होकर निवेदन किया कि वादी व
प्रतिवादी जणों के बीच कावली समझौता
हो जाने से वादी, वाद का आगे चलाना
नही चाहता।

हमने वादी के सुन एवं पत्रावली
पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।
वादी द्वारा वाद आगे नही चलाना चाहता
अतः वादी का वाद जरिये विश्लेषण स्वारीज
किया जाता है। पत्रावली केसल सुधार
होकर नम्बर से कप्त हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/19 के सरेइजलास

सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली